न्यायालय जिला कलेक्टर एंव प्रथम अपील अधिकारी ,टोंक

प्रकरण संख्या 27/2019

बद्रीनारायण मीणा पुत्र रामरतन मीणा ग्राम बडी बरथल पो0 पहाडी तह0 निवाई जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई, जिला टोक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 3—10—2019**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई को दिनांक 10—7—2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1— पूर्व प्रधान श्री रामकरण जी गुर्जर एवं इनके पुत्र ब्रह्म प्रकाश जी एवं श्योजी राम जी द्वारा चरागाह पर किया गया अतिक्रमण हटाकर प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने कि विडियो ग्राफी या अतिक्रमण हटाने के पुख्ता सबुत कि छाया देने का कष्ट करे।

2— तीनो पिता पुत्रों ने कितने खसरा नं0 प्रतिया एवं कितने वर्ग गज में अतिक्रमण कर रखा हे नापकर बताने का कष्ट करे।

3— तीनों पिता पुत्रों द्वारा खेती पुख्ता मकान बनाकर किये गए अतिक्रमण को हटाकर हटाने के सबूतो कि छाया प्रतिया उपलब्ध करवाने का कष्ट करे।

4— तहसील कार्यालय के पीछे एस.डी.एम. कोर्ट के पीछे सीविल कोर्ट के पीछे यातायात पुलिस एवं एन.एच. 12 हाइवे पर इन तीनो पिता पुत्रो ने प्रभावशाली होने के कारण अतिक्रमण कर रखा है परन्तु सरकारी विभागो के सबसे नजदिक होने बाद भी यह अतिक्रमण 300 अधिकारियों द्वारा क्यों नजर अन्दाज किया जा रहा हैं कारण स्पष्ट करे क्या प्रार्थी इसे दीया तले अंधेरा मान सकता है।

5— महोदय आप से निवेदन कि गरीब लावारिस ग्रामीणों कृषकों को परेशान करने के बजाय इन प्रभावशाली लोगों से सरकारी भूमि का अतिक्रमण हटवाने का कष्ट करें।

जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

6– पुराने एन.एच. 12 से गैर मूमकिन पानी का नाला कस्वा निवाई में आता है उसको वारिश का मौसम होने के कारण पुराने एन.एच. 12 निवाई से टोंक से नए एन.एच. 12 तक अतिक्रमण मुक्त करवाकर मुक्त कराते हुए के पुख्ता सबुत विडियों ग्राफी या फोटो जो भी सबुत हो उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

7– निवाई कस्बा पटवारी के साथ जो आदमी रहता है वो किस नियम के तहत रख रखा है। और उसका क्या पद है और उसका वेतन कहा से मिलता है उसको काका के नाम कर्ता से पुर्व गिरदावर भुंवर जाट के साथ 500 रू की मासिक पैसे और पैसे नही देने पर भला बुरा कहा इसका स्पष्टीकरण व कोई आदेश हो तो आदेश की छाया प्रतियाँ उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। अन्यथा इसको हटाकर आम जनता को राहत पहुचाने का कष्ट करें।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई से अपील के संबंध मे जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई ने उनके पत्र क्रमांक 1556 दिनाक 25–9–2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने वाली सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/19/1272 दिनांक 9–8–2019 रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दी गई है। भिजवाई गई सूचना की प्रति न्यायालय हाजा में भी प्रेषित की गई है। अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजी/सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दी जाने वाली सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार निवाई तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के0के0शर्मा)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

3/X/19

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.26 11:33:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: